

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर  
दिनांक : 22-12-2022  
क्रमांक : प्रशि./जनप्र/2022/665

समस्त प्रधानाचार्य,  
निजी नर्सिंग स्कूल,  
राजस्थान।

विषय - जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 की फीस के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता को समय-समय पर शिकायत प्राप्त होती रही है, कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस से अधिक राशि वसूली जा रही है।

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) के आदेश दिनांक 26.10.2022 संलग्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस राशि ही ली जावे तथा प्रशिक्षणार्थियों को उसी समय जमा राशि की प्राप्ति रसीद भी दी जावे।

उपरोक्त के अलावा किसी अन्य तरह की प्रशिक्षणार्थियों से राशि नहीं ली जावे। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी से किसी अन्य तरह की राशि ली जाती है, तो संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्थान की होगी।

*sd*  
(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज. जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/2022/665

दिनांक : 22-12-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
02. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग फेडरेशन, ई-277, लालकोठी योजना, जयपुर।
03. सचिव/समन्वयक, प्राइवेट फिजियोथेरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इंस्टिट्यूशन ऑफ जयपुर, 17 संगम होटल, मोतीलाल अटल रोड, पॉलोविक्ट्री के पास, जयपुर।
04. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पत्र को सर्वर पर अपलोड करने का श्रम करे।

*sd*  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार  
शिक्षा विभाग (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक व 14(1)एमई / ग्रुप-1 / 2020

जयपुर, दिनांक 26 OCT 2022

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्तामिक एकेडेमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिय गए निर्णय के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विभिन्न पहलुओं के परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त राज्य के निजी नर्सिंग पैरामेडिकल एवं फिजियोथेरेपी कॉलेजों के निम्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अतिरिक्त शुल्क सर्वोच्च निम्नानुसार निर्धारित की जाती है -

Course	Academic Year	Academic Year	Academic Year
	2022-23	2023-2024	2024-2025
G.N.M	60,000/-	63,000/-	66,000/-
B.Sc. Nursing	65,000/-	90,000/-	95,000/-
Post Basic B.Sc. Nursing	65,000/-	90,000/-	95,000/-
M.Sc. Nursing	1,30,000/-	1,35,000/-	1,40,000/-
Physiotherapy	80,000/-	85,000/-	90,000/-

Hostel Charges

S.N.	Room	Charges (Rs.) per Annum
1	Single Room	18,000/-
2	Double Room	14,400/-
3	Triple Room	12,000/-

1. फेस हेतु मासिक रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित की गयी राशि छात्रों से सहकारिता के आधार पर ली जायेगी। छात्रावास के बिजली आपूर्ति के बिलों की राशि होस्टल में रहने वाले छात्रों के मध्य समान रूप से समविभाजित की जायेगी।
2. कॉलेज में प्रवेश के समय एक ही बार कौशल मनी ली जायेगी जो कोर्स पूरा करने पर वापस की जाएगी।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवीणता शुल्क तथा परीक्षा शुल्क वसूल किया जा सकेगा।
4. उक्त कॉलेज औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से उपरोक्त शुल्क के अलावा किसी भी तरह का शुल्क अथवा इन्डेशन विकास शुल्क, लैबोरेटरी शुल्क, अस्पताल शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क इत्यादि छात्रों से वसूल नहीं करेगे उक्त कॉलेज यदि ऊपर वर्णित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क वसूल करते हैं तो यह कंपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जायेगा एवं तदनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आज्ञा से

(विभय भातरिया)

प्रमुख शासन सचिव

शिक्षा एवं सदस्य सचिव, शुल्क

रेगुलेटरी कमेटी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. माननीय जस्टिस, एस.एन. भार्गव अध्यक्ष, शुल्क निर्धारण समिति, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राज, जयपुर।
6. सदस्यगण, शुल्क निर्धारण समिति, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, निदेशालय शिक्षा, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य, संबन्धित नर्सिंग / फिजियोथेरेपी महाविद्यालय।
10. रक्षित पत्रावली।

(इकबाल खान)

शासन सचिव